



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 30.08.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल एफ-जेड (बिना नम्बर प्लेट) व करीब 15 किलोग्राम चोरी किया हुआ ट्यूबवैल का केबिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.08.2026 को समय लगभग 22:08 बजे थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा ट्रांसफार्मर एवं ट्यूबवैल चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चांदीनगर-बड़ागांव रोड पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा टॉर्च के माध्यम से रुकने का संकेत दिया गया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार हड़बड़ा गया तथा

मोटरसाइकिल को तेजी से वापस मोड़ने का प्रयास करने लगा, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। मोटरसाइकिल गिरते ही चालक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।



आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके उपरान्त उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाइकिल एफ-जेड (बिना नम्बर प्लेट) तथा 01 प्लास्टिक कट्टा, जिसमें करीब 15 किलोग्राम चोरी किया हुआ ट्यूबवैल का केबिल था, बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खेकड़ा भेजा गया, जहां उसका उपचार कराया गया।

उक्त घटना के संबंध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद पुत्र अली मोहम्मद निवासी असालतपुर फरूखनगर थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद। (घायल)

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम शहजाद पुत्र अली मोहम्मद निवासी असालतपुर फरूखनगर, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद बताया गया। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 28.08.2026 को वह अपने साथियों के साथ मुबारिकपुर के जंगल में ट्रांसफार्मर चोरी करने के उद्देश्य से आया था, किन्तु पुलिस के पहुंच जाने पर वह मौके से फरार हो गया था तथा उसका साथी रिजवान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि लगभग एक माह पूर्व उसने अपने साथियों के साथ चमरावल के जंगल से ट्यूबवैल के केबिल चोरी किए थे तथा जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दहपा में भी ट्रांसफार्मर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटर साइकिल एफ जेड बिना नम्बर प्लेट घटना में प्रयुक्त
- करीब 15 किलोग्राम ट्यूबवैल का केबिल

- 1.मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 2.मु0अ0सं0 647/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड
- 3.मु0अ0सं0 658/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड
4. मु0अ0सं0 647/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड
5. मु0अ0सं0 658/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड
- 6.मु0अ0सं0 713/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत
- 7.मु0अ0सं0 731/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत
- 8.मु0अ0सं0 767/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत
9. मु0अ0सं0 786/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत
- 10.मु0अ0सं0 789/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत
- 11.मु0अ0सं0 93/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
12. मु0अ0सं0 1351/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद
- 13.मु0अ0सं0 1417/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद
- 14.मु0अ0सं0 446/21 धारा 380, 411 भादवि थाना टीला मोड गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री आशीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अमित चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 489 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 9-का0 411 पीयूष त्यागी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 30.08.2026

थाना रमाला व छपरौली पुलिस टीम जनपद बागपत द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए प्रदेश स्तर पर चिन्हित अपराध माफिया आईडी 03 गैंगलीडर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति कुल 8130 वर्ग मीटर जिसकी कुल वर्तमान कीमत लगभग 3 करोड 50 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आज दिनांक 30.08.2026 को थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम किरठल पट्टी बिजलान, थाना रमाला जनपद बागपत हाल पता वार्ड न0 12 विनोद विहार कालोनी एसएस मन्दिर ऋषिकेश, थाना ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखण्ड के द्वारा अपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त होकर अवैध रूप से अर्जित धन से ग्राम लूम्ब व किरठल में अलग – अलग कुल 8130 वर्ग मीटर कृषि भूमि जिसमें ग्राम किरठल में 5880 वर्ग मीटर व ग्राम लूम्ब में 2250 वर्ग मीटर जिसका कुल बाजारी मूल्य लगभग 3 करोड 50 लाख रुपये को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत द्वारा कुर्क किया गया तथा जब्त सम्पत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया।

अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, लट आदि संगीन अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न थानों पर कुल 55



अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त धर्मेन्द्र वर्तमान में जनपद अम्बेडकर नगर की जेल में निरुद्ध है।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण-

- ग्राम किरठल में 5880 वर्ग मीटर व ग्राम लूम्ब में 2250 वर्ग मीटर जिसका कुल बाजारी मूल्य लगभग 3 करोड 50 लाख रुपये

अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल का आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०/धारा	चालानी थाना/जनपद
1	571/07 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	थाना मेडीकल जनपद मेरठ
2	522/07 धारा 302/149 भादवि	थाना मेडीकल जनपद मेरठ
3	77/08 धारा 42/43 जिला कारागार अधि०	थाना मेडीकल जनपद मेरठ
4	378/15 धारा 147,148,323 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
5	201/2011 धारा 147,148,149,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट	थाना रमाला जनपद बागपत
6	214/20 धारा 302,307,34 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
7	124/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट	थाना रमाला जनपद बागपत
8	88/2017 धारा 364,34,506 भादवि	थाना छपरौली जनपद बागपत
9	150/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	थाना रमाला जनपद बागपत
10	1148/2005 धारा 207 एमवीएक्ट	थाना सिविल लाईन जनपद मु०नगर
11	1316/2005 धारा 3 यू०पी० गुन्डा एक्ट	थाना रमाला जनपद बागपत
12	59/2006 धारा 399,402,420,467,468,471, 120बी भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना ढोलपुर राजस्थान
13	172/2006 धारा 399,402, भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना ढोलपुर राजस्थान
14	181/2009 धारा 207 एमवीएक्ट	थाना भोपा जनपद मु०नगर
15	27/1992 धारा 392 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
16	31/1992 धारा 392 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
17	147/1992 धारा 392 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
18	499/1993 धारा 395,397 भादवि	थाना रमाला जनपद बागपत
19	70/1994 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट	थाना रमाला जनपद बागपत
20	35/1995 धारा 307 भादवि	थाना शामली जिला शामली
21	279/1995 धारा 395 भादवि	थाना शामली जिला शामली
22	20/1997 धारा 25 आर्म्स एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत

23	573/20 धारा 307 भादवि	थाना नई मण्डी जिला मु0नगर
24	09/2000 धारा 216 भादवि	थाना रमाला जिला बागपत
25	84/2000 धारा 3/4 गुन्डा एक्ट	थाना बीबीनगर जिला बु0शहर
26	77/2004 धारा 3/4 गुन्डा एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
27	129/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट	थाना छपरौली जिला बागपत
28	28/2001 धारा 307 भादवि	थाना भवन जिला शामली
29	39/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट	थाना भवन जिला शामली
30	722/2004 धारा 302/307 भादवि	रोहतक हरियाणा
31	124/2004 धारा 110 जी सीआरपीसी	थाना रमाला जिला बागपत
32	98/2004 धारा 25 आर्म्स एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
33	84/2004 धारा 302 भादवि	थाना रमाला जिला बागपत
34	596/2005 धारा 302/307/34 भादवि	थाना शामली जिला शामली
35	576/2005 धारा 302/307 भादवि	थाना शामली जिला शामली
36	381/2005 धारा 307 भादवि	थाना सरधना जिला मेरठ
37	384/2005 धारा 324/323/506 भादवि	थाना सरधना जिला मेरठ
38	1185/2005 धारा 307 भादवि	थाना सिविल लाईन जिला मु0नगर
39	216/2006 धारा 147/149/149/302/120बी भादवि	थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत
40	21/2006 धारा 307/325 भादवि	थाना रमाला जिला बागपत
41	54/2007 धारा 224/511/120बी/34 भादवि	थाना मेडीकल जिला मेरठ
42	249/2007 धारा 147/148/149/302/120बी/452 भादवि	थाना रमाला जिला बागपत
43	350/2007 धारा 302/120बी भादवि	थाना मेडीकल जिला मेरठ
44	242/08 धारा 147/323/332/353/308/120बी भादवि	थाना मेडीकल जिला मेरठ
45	73/2008 धारा 147/148/336/307 भादवि व 45 प्रिजन एक्ट	थाना मेडीकल जिला मेरठ
46	223/2010 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
47	241/2011 धारा 3/4 यूपी गुन्डा एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
48	314/2011 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
49	401/2011 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट	थाना बुढाना मु0नगर
50	177/2012 धारा 302/307/120बी भादवि	थाना नजफगढ दिल्ली
51	290/2015 धारा 3/4 यूपी गुन्डा एक्ट	थाना रमाला जिला बागपत
52	40/11 धारा 307 भादवि	थाना बुढाना मु0नगर
53	76/2008 धारा 147/148/149/307/121 भादवि	थाना मेडीकल जिला मेरठ

54	301/24 धारा 352/308(5)/109/61(2)351(2)/115(2) बीएनएसएस थाना रमाला जिला बागपत	थाना रमाला जिला बागपत
55	71/26 धारा 2/3 गैरस्टर एक्ट	थाना रमाला, बागपत



प्रेसनोट थाना - चांदीनगर
दिनांक 26.08.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 104/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66D IT ACT में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से धोखे से लिया हुआ एक मंगलसूत्र बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.2026 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री नीरज पुत्र किरनपाल शर्मा निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त चिन्टू पुत्र सोदान निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत के द्वारा इन्सटाग्राम पर Kavya Sharma goose.8137401 (काव्या शर्मा) नाम से फर्जी आईडी बना कर शादी करने के लिए वादी से 02 लाख रुपये व 07 ग्राम का मंगलसूत्र हडप लेना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 104/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के 104/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट में नामित वांछित अभियुक्त चिन्टू को गिरफ्तार कर किया गया है, जिसके कब्जे से धोखे से लिया हुआ एक मंगलसूत्र बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चिन्टू पुत्र सोदान निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक मंगलसूत्र बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-नि०अपराध श्री रामचन्द्र सिंह - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-है०का० 560 ओंकार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-है०का० 525 दीपक भाटी - थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 4-का० 158 अंशुल गुधैनिया- थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 5-का० 257 सचिन कुमार - थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 30.08.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 239/26 धारा 5क/8 गौवध अधिनियम में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 239/26 धारा 5क/8 गौवध अधिनियम में प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में बाद पुलिस मुठभेड 05 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र उस्मान उम्र करीब 54 वर्ष निवासी मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली व मूल पता मौ० कसाई खाना अमरोहा थाना कोतवाली अमरोहा जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री स्नेह प्रकाश थाना सि०अहीर जनपद बागपत
- 2-उ०नि० श्री रजत कुमार थाना सि०अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 689 बिपिन कुमार थाना सि०अहीर जनपद बागपत ।
- 4- है०का० 210 दानवीर सिंह थाना सि०अहीर जनपद बागपत ।

